नाण्डी सेलसैण मोटर मार्ग प्रस्ताव सं0 (FP/UK/ROAD/11204/2015) ऑन लाईन होने पर पर आयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण

Sl. No.	User agency againt E.D.S.	E.D.S. Reaply
1	2	3
1	State Govt may review the data given about forest land diverted , CA stipulated and progress of CA in para 14 of online Part II again as still not found correct and intimate the correct figures acordingly. Any mismatch in the data should be adequately clarified	Point Concerned to D.F.O.
2	The State Govt asked vide this office letter dated 17-11-2016 to submit original copy of revised documents to this office which is still not provided by the State Govt.	Point Concerned to Uttarakhand Govt.
3	Approximate distance of the proposed site towards inside of the forest from boundary of forest may also need to provide in online Part II.	Point Concerned to D.F.O.
4	The village wise proceeding for village Sailsain uploaded as an additional document in online Part I is undated and the date on which the proceeding signed by the concerned authorities are of Nov, 2016 which is procedurally incorrect because the date of FRA uploaded in column K of online Part I is of March, 2015 and the date of proceeding of sub divisional level committee is of January, 2015, therefore the State Govt may do the necessary correction and upload the revised FRA certificate with all correct annexure in column K of online Part I. The any kind of correction in the document is needed to be authenticated by the respective authorities.	The village wise proceeding for village sailsain uploaded again and necessary correction and uploaded the with all corrected annexuse in column K of online Part I.

for अधिशासी अभियन्ता, 23/10/17
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **0.8225** Hectare for the construction of **Nandi- Sailsain-Mathurgaun Motor Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri
Dt/- 12/03/2015

District Collector Cum chairman
(युगल किशोर पन्त)
District Tehri Garhwal
New Tehri

Annexure-I

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. Dated ...12/03/2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.8225 hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department , Kirtiangar** for **Construction of Nandi-Sailsain-Mathurgaun Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Mathurgaun** Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **0.8225 hact.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure **23.2**
b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(युगल किशोर पन्त)
(Yugal Kishore Pant)
जिलाधिकारी
Distt. Colector
टिहरी गढ़वाल

It is further certified that – Minutes of meeting of Nandi-Sailsain-Mathurgaun Motor Road (2.00 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.8225** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की-रेती
मुनि की रेती(टिहरी गढ़वाल)

Signature
(युगल किशोर पन्त)
(Yugal Kishor Pant)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
12-03-2015

प्रारूप –1.90,
भू–अर्जन प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम–
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड़ कीर्तिनगर में नाण्डी–सैलसेण–मठूरगॉव मोटर मार्ग का नव निर्माण (किमी0–2.00) हेतु पड़ने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वीकृति संदर्भः 288/लो0नि0–2/04–15(प्रा0आ0)/2004 दिनॉक 27 फरवरी 2004

जनपद टिहरी गढवाल में विकासखण्ड़–कीर्तिनगर के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड़ कीर्तिनगर में नाण्डी–सैलसेण–मठूरगॉव मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।
प्रखण्ड़ टिहरी गढवाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड़ कीर्तिनगर में नाण्डी–सैलसेण–मठूरगॉव मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिए 0.7175 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.105 है0 सिविल सोयम वन भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, (अर्थात् कुल–0.8225 है0) का अस्थाई खण्ड़ लोक निर्माण विभाग–श्रीनगर,मुख्यालय–कीर्तिनगर प्रयोक्ता ऐजन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकि नाप भूमि 0.5775 है0 ग्राम पंचायत–चौकी के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है। कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बधित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

ह0/– ....
(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम:- नाण्डी सैलसैण मदूर गाँव मोटर मार्ग,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, **कीर्तिनगर**
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण- पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड **कीर्तिनगर** परिक्षेत्र के अन्तर्गत- नाण्डी सैलसैण मदूरगाँव मोटर मार्ग, में 0.7175 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.105 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि — हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.8225 हे0 वन भूमि) का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- देवप्रयाग) की दिनांक 27/1/2015 .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2– श्री प्रदीप कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3– श्री रणजीत सिंह बर्त्वाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4– श्री रविन्द्र सिंह	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि **मोटर मार्ग के** नाण्डी सैलसैण मदूरगाँव **मोटर मार्ग** परियोजना हेतु 0.8225 हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी उप वन प्रभाग देवप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **कीर्तिनगर** परिक्षेत्र के अन्तर्गत चान्दी सेलसैण गडूरगाँव **मोटर** मार्ग परियोजना के निर्माण **हेतु** 0.8225 **हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम - नाण्डी-सैलसैण मढूर गाँव मोटर मार्ग,

दिनांक ~~27/01/2015~~ 24/01/2015 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद- टिहरी गढ़वाल

1	श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2	श्री प्रदीप कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग उप वन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती
3	श्री रणजीत सिंह बर्त्वाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
4	श्री रविन्द्र सिंह	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	

क्षेत्र पंचायत सदस्य
नाव
रविन्द्र सिंह बिष्ट

54

प्रपत्र –23

परियोजना का नाम:- नाण्डी-सैंलसैण-भदूर ग्राँव मोटर मार्ग,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - पाव, चौकी
तहसील देवप्रयाग जिला - टिहरी गढवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत **विकास** खण्ड ~~देवप्रयाग~~ कीर्तिनगर में नाडी-सैंलसैण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.7175 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.105 हे0 सिविल सोयम भूमि – हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.8225 हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पाँव, चौकी द्वारा दिनांक 20/01/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सैंलसैण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/- [signature] (मुहर: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी)
ग्राम सचिव

ह0/- [signature] (मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत चौकी)
ग्राम प्रधान

नोट – यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रमाणित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

[signature] (मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत ... कीर्तिनगर (टिहरी ...))

प्रपत्र–23.1

दिनांक 20/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - सेलसैण ग्राम पंचायत पाब, चौकी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विपिन कोठारी	[signature]
2	सुनील	Sunil
3	राकेश	[signature]
4	राजेश्वरी देवी	राजेश्वरी
5		कमल देवी
6	दीपक	Badoni
		[signature]
	प्रीतम	Pritam धर्म सिंह
	देवेन्द्र दत्त	देवेन्द्र दत्त आ नुसीय
	राजेश	[signature]
	अरविन्द बडोनी	Abadoni
	हिमांशु	Himanshu Amar Singh
	प्रवीन	Praveen
	विजय राम कोठारी	[signature]
	हर्षमणी	Harsmani
	पंकज लखेडा	Pankaj
	मित्रानन्द	मित्रानन्द
	शूरवीर सिंह	शूरवीर सिंह
	प्रेम सिंह	Amar Singh
	बचन सिंह	बचन सिंह
	त्रिलोक सिंह	त्रिलोक सिंह
	पूरण सिंह	पूरण सिंह
	नारायण सिंह	नारायण सिंह
	कुशाल सिंह	कुशाल सिंह

ह0/–
ग्राम प्रधान [signature]

प्रधान ग्राम पंचायत चौकी (टिहरी-गढ़वाल)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– नाण्डी सैलसैण-मदूरगाँव मोटर मार्ग,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– ~~माव, चौकी~~ तल्यामण्डल
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत **विकास खण्ड कीर्तिनगर** में **नाण्डी सेलसैण मोटर मार्ग** के परियोजना के निर्माण हेतु (0.7175 आरक्षित वन भूमि, 0.105 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.8225 है0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तल्यामण्डल द्वारा दिनांक 21.01.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तल्यामण्डल (मदूरगाँव) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ (दीपेन्द्र चौहान)
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत तल्यामण्डल

ह0/ नीलम देवी
दिनांक 21-1-2015
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23.1

दिनांक **21.01.2015** को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम – मल्हरगाँव ग्राम पंचायत तल्यामण्डल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शूरवीर सिंह गुसाई	[signature]
2	धन्तीसिंह गुसाई	धन्तीसिंह
3	गीता देवी गुसाई	गीता देवी
4	प्रभाकर प्रसाद	प्रभाकर प्रसाद
5	सजना देवी	सजना देवी
6	रवेन सिंह	रवेनसिंह
7	माधवानन्द दत्त लखेड़ा	[signature]
8	राजेन्द्र प्रसाद लखेड़ा सैo	[signature]
9	रमेश चन्द्र लखेड़ा	[signature]
10	उदय सिंह गुसाई	[signature]
11	महावीर सिंह	[signature]
12	शिवप्रसाद लखेड़ा	[signature]
13	हर मणी	[signature]
14	प्रमोद लखेड़ा	[signature]
15	[illegible] लखेड़ा	[signature]
16	नन्द किशोर लखेड़ा	[signature]
17	मनमोहन "	[signature]
18	[illegible]सिंह	[signature]
19	उदयसिंह	उदयसिंह
20	गणेश सिंह	[signature]
21	प्रदीप सिंह	[signature]

[signature]
([illegible])
ग्राम पंचायत [illegible] अधिकारी
ग्राम पंचायत तल्यामण्डल
जि० [illegible] (उ० प्र०)

प्रधान ग्राम पंचायत तल्यामण्डल
ह० नीलमदेवी
दिनांक 21-1-2015

ह0 / नीलमदेवी
ग्राम प्रधान
21-1-2015

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम मठूरगांव ग्राम पंचायत तल्यामण्ड़ल विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत आता है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

(धीरेन्द्र चौहान)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत तल्यामण्डल
वि० ख० कीर्तिनगर (टि० ग०)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सेलसैण ग्राम पंचायत चौकी विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत आता है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

...06/2017

(वीरेन्द्र चौहान)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....चौकी....
वि0 ख0 कीर्तिनगर (टि0 ग0)